

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर (हनुमानगढ)
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर०ए०एस०)

प्रकरण स० - 106/2022

अनवान : -

1. हनुमान प्रसाद पुत्र मनफुलराम जाति मेघवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर।

-वादी

बनाम

1. हजारीराम पुत्र बुधराम जाति नायक साकिन दुर्जाना तहसील नोहर।
2. मनीराम पुत्र बुधराम जाति नायक साकिन दुर्जाना तहसील नोहर।
3. बालूराम पुत्र बुधराम जाति नायक साकिन दुर्जाना तहसील नोहर।
4. बीरूराम पुत्र बुधराम जाति नायक साकिन दुर्जाना तहसील नोहर।
5. जयसिंह पुत्र अमरसिंह जाति मेघवाल साकिन धीरवास तहसील तारानगर।
6. धनपत पुत्र फुलाराम जाति मेघवाल साकिन बिल्यूबास रामपुरा तहसील सरदारशहर।
7. प्रेमप्रकाश पुत्र जयसिंह जाति मेघवाल साकिन धीरवासबड़ा तहसील तारानगर।
8. मांगेराम पुत्र रामदास जाति वाल्मिकी साकिन ढिलकीजाटान तहसील नोहर।
9. राजेन्द्र पुत्र मंगतूराम जाति मेघवाल साकिन मेघाना तहसील नोहर।
10. राजस्थान मरुघरा ग्रामीण बैंक शाखा दलपतपुरा तहसील नोहर।
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा

53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

- उपस्थिति :-
1. श्री हवासिंह वादीगण
 2. श्री अंजनी कुमार प्रतिवादी स० 4
 3. परोकार राज

निर्णय

दिनांक: 6/1/25

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा मेघाना के खसरा न० 73/2 की 1.8300 है०, 73/3 की 1.8300 है०, 73/4 की 1.8310 है०, 73/5 की 1.0750 है०, 73/6 की 0.7560 है०, कुल 7.3220 है० भूमि में से वादी का 0.0520 है०, प्रतिवादी स० 1 की 1.8170 है०, प्रतिवादी स० 2 की 1.8170 है०, प्रतिवादी स० 3 की 1.8180 है०, प्रतिवादी स० 4 का 240/1831 हिस्सा, प्रतिवादी स० 5 का 279/1831 हिस्सा, प्रतिवादी स० 6 का 540/1831 हिस्सा, प्रतिवादी स० 7 का 253/1831 हिस्सा, प्रतिवादी स० 8 का 253/1831 हिस्सा, प्रतिवादी स० 9 का 253/1831 हिस्सा भूमि के काबिज खातेदार काश्तकार है।

वादी ने जरिये बैयनामा दिनांक 27.03.2003 को रोही मौजा मेघाना के खसरा न० 73/2 की 1.8300 है०, 73/3 की 1.8300 है०, 73/4 की 1.8310 है०, 73/5 की 1.0750 है०, 73/6 की 0.7560 है० कुल 7.3220 है० भूमि में से 4 बिस्वा भूमि यानि 0.0520 है० भूमि खरीद की थी को वादी के नाम दर्ज कर खाता व लगान अलग से कायम किया जावें।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)



वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन सम्यक रूप से तामिल होने के उपरान्त भी प्रतिवादी सं० 1 ता 3, 5 ता 9 के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं० 4 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश कर निवेदन किया की वाद भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्सा के अनुसार खाता व लगान अलग किया जाता है तो किसी प्रकार का एतराज नही है। प्रतिवादी सं० 10 की ओर से परोकार राज उपस्थित। रोही मौजा मेघाना के खसरा न० 73/2 की 1.8300है०, 73/3 की 1.8300है०, 73/4 की 1.8310है०, 73/5 की 1.0750है०, 73/6 की 0.7560है०, कुल 7.3220है० भूमि में से वादी का 0.0520है०, प्रतिवादी सं० 1 की 1.8170है०, प्रतिवादी सं० 2 की 1.8170है०, प्रतिवादी सं० 3 की 1.8180है०, प्रतिवादी सं० 4 का 240/1831 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 5 का 279/1831 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 6 का 540/1831 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 7 का 253/1831 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 8 का 253/1831 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 9 का 253/1831 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया तथा पत्रावली को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर के पत्रांक 11014 दिनांक 16.11.2022 द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

तहसीलदार नोहर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया कि पक्षकारान के हिस्सा अनुसार तथा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के विवादित भूमि का खाता व लगान अलग से कायम किया जावें। वकील प्रतिवादी सं० 4 ने बहस में निवेदन किया की वादी व प्रतिवादीगण के हक हिस्सा के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग-अलग दर्ज करवा पाने के कानूनी अधिकारी है। परोकार राज ने निवेदन किया की वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा मेघाना के खसरा न० 73/2 की 1.8300है०, 73/3 की 1.8300है०, 73/4 की 1.8310है०, 73/5 की 1.0750है०, 73/6 की 0.7560है०, कुल 7.3220है० भूमि में से वादी का 0.0520है०, प्रतिवादी सं० 1 की 1.8170है०, प्रतिवादी सं० 2 की 1.8170है०, प्रतिवादी सं० 3 की 1.8180है०, प्रतिवादी सं० 4 का 240/1831 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 5 का 279/1831 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 6 का 540/1831 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 7 का 253/1831 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 8 का 253/1831 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 9 का 253/1831 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में खाता विभाजन अलग-अलग करवाने हेतु निवेदन किया है। तहसीलदार नोहर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16.11.2022 का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों एवं तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

प्रतिवादी सं० 5 जयसिंह पुत्र अमरसिंह 279/1818 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 7 प्रेमप्रकाश पुत्र जयसिंह 253/1818 हिस्सा जाति मेघवाल निवासी धीरवास बड़ा तहसील तारानगर, प्रतिवादी सं० 6 धनप्रतरान पुत्र फुलाराम 540/1818 हिस्सा जाति मेघवाल निवासी बिल्लूबास रामपुरा

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

तहसील सरदारशहर, प्रतिवादी स0 4 बीरुराम पुत्र बुधराम 240/1818 हिस्सा जाति नायक निवासी दुर्जाना, प्रतिवादी स0 8 मांगेराम पुत्र रामदास 253/1818 हिस्सा जाति बाल्मिकी निवासी ढिलकी जाटान, प्रतिवादी स0 9 राजेन्द्र पुत्र मंगतुराम 253/1818 हिस्सा जाति मेघवाल साकिन मेघाना खातेदार:-

ग्राम मेघाना तहसील नोहर के खसरा न0 73/5 की 1.0750 है0, 73/6 की 0.7040 है0, 73/10 की 0.039 है0, कुल 1.8180 है0 बारानी प्रथम

वादी स0 1 हनुमानप्रसाद पुत्र मनफुलराम जाति मेघवाल साकिन बिरकाली खातेदार :-

ग्राम मेघाना तहसील नोहर के ख0 न0 73/11 की 0.0520 है0 बारानी प्रथम

प्रतिवादी स0 2 मनीराम पुत्र बुधराम जाति नायक निवासी दुर्जाना खातेदार :-

ग्राम मेघाना तहसील नोहर के खसरा न0 73/3 की 1.8040 है0, 73/8 की 0.013 है0, कुल 1.8170 है0 बारानी प्रथम

प्रतिवादी स0 3 बालुराम पुत्र बुधराम जाति नायक निवासी दुर्जाना खातेदार :-

ग्राम मेघाना तहसील नोहर के खसरा न0 73/4 की 1.792 है0, 73/9 की 0.026 है0, कुल 1.8180 है0 बारानी प्रथम

प्रतिवादी स0 1 हजारीराम पुत्र बुधराम जाति नायक निवासी दुर्जाना खातेदार :-

ग्राम मेघाना तहसील नोहर के खसरा न0 73/2 की 1.8170 है0 बारानी प्रथम

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 6/4/28 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

अन्तिम पर्चा-डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर (हनुमानगढ)
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)
प्रकरण स0 - 106/2022

अनवान : -

1. हनुमान प्रसाद पुत्र मनफुलराम जाति मेघवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर।

-वादी

बनाम

1. हजारीराम पुत्र बुधराम जाति नायक साकिन दुर्जाना तहसील नोहर।
2. मनीराम पुत्र बुधराम जाति नायक साकिन दुर्जाना तहसील नोहर।
3. बालूराम पुत्र बुधराम जाति नायक साकिन दुर्जाना तहसील नोहर।
4. बीरूराम पुत्र बुधराम जाति नायक साकिन दुर्जाना तहसील नोहर।
5. जयसिंह पुत्र अमरसिंह जाति मेघवाल साकिन धीरवास तहसील तारानगर।
6. धनपत पुत्र फुलाराम जाति मेघवाल साकिन बिल्लूबास रामपुरा तहसील सरदारशहर।
7. प्रेमप्रकाश पुत्र जयसिंह जाति मेघवाल साकिन धीरवासबड़ा तहसील तारानगर।
8. मांगेराम पुत्र रामदास जाति वाल्मिकी साकिन ढिलकीजाटान तहसील नोहर।
9. राजेन्द्र पुत्र मंगतूराम जाति मेघवाल साकिन मेघाना तहसील नोहर।
10. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा दलपतपुरा तहसील नोहर।
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

राजस्व वाद संख्या 106 सन 2022 निर्णय दिनांक...6/4/23
वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा

53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री हवासिंह व वकील प्रतिवादी श्री अंजनी कुमार व पेरोकार राज की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किया जाता है तथा रोही मौजा मेघाना के खसरा न0 73/2 की 1.8300है0, 73/3 की 1.8300है0, 73/4 की 1.8310है0, 73/5 की 1.0750है0, 73/6 की 0.7560है0, कुल 7.3220है0 भूमि में से वादी का 0.0520है0, प्रतिवादी स0 1 की 1.8170है0, प्रतिवादी स0 2 की 1.8170है0, प्रतिवादी स0 3 की 1.8180है0, प्रतिवादी स0 4 का 240/1831 हिस्सा, प्रतिवादी स0 5 का 279/1831 हिस्सा, प्रतिवादी स0 6 का 540/1831 हिस्सा, प्रतिवादी स0 7 का 253/1831 हिस्सा, प्रतिवादी स0 8 का 253/1831 हिस्सा, प्रतिवादी स0 9 का 253/1831 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है का वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों तथा मुताबिक तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव डिक्री किया जाकर निम्नानुसार पक्षकारान के खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

प्रतिवादी स0 5 जयसिंह पुत्र अमरसिंह 279/1818 हिस्सा, प्रतिवादी स0 7 प्रेमप्रकाश पुत्र जयसिंह 253/1818 हिस्सा जाति मेघवाल निवासी धीरवास बड़ा तहसील तारानगर, प्रतिवादी स0 6 धनपतराम पुत्र फुलाराम 540/1818 हिस्सा जाति मेघवाल निवासी बिल्लूबास रामपुरा तहसील सरदारशहर, प्रतिवादी स0 4 बीरूराम पुत्र बुधराम 240/1818 हिस्सा जाति नायक निवासी दुर्जाना, प्रतिवादी स0 8 मांगेराम पुत्र रामदास 253/1818 हिस्सा जाति बाल्मिकी

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

निवासी ढिलकी जाटान, प्रतिवादी स0 9 राजेन्द्र पुत्र मंगतुराम 253/1818 हिस्सा जाति मेघवाल साकिन मेघाना खातेदार:-

ग्राम मेघाना तहसील नोहर के खसरा न0 73/5 की 1.0750है0, 73/6 की 0.7040है0, 73/10 की 0.039है0, कुल 1.8180है0 बारानी प्रथम

वादी स0 1 हनुमानप्रसाद पुत्र मनफूलराम जाति मेघवाल साकिन बिरकाली खातेदार :-

ग्राम मेघाना तहसील नोहर के ख0न0 73/11 की 0.0520है0 बारानी प्रथम

प्रतिवादी स0 2 मनीराम पुत्र बुधराम जाति नायक निवासी दुर्जाना खातेदार :-

ग्राम मेघाना तहसील नोहर के खसरा न0 73/3 की 1.8040है0, 73/8 की 0.013है0, कुल 1.8170है0 बारानी प्रथम

प्रतिवादी स0 3 बालुराम पुत्र बुधराम जाति नायक निवासी दुर्जाना खातेदार :-

ग्राम मेघाना तहसील नोहर के खसरा न0 73/4 की 1.792है0, 73/9 की 0.026है0, कुल 1.8180है0 बारानी प्रथम

प्रतिवादी स0 1 हजारीराम पुत्र बुधराम जाति नायक निवासी दुर्जाना खातेदार :-

ग्राम मेघाना तहसील नोहर के खसरा न0 73/2 की 1.8170है0 बारानी प्रथम

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 61/11/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर